


कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाचार्य-उमावि के संबंध में जारी विभागीय आदेशों में कार्मिक के नाम के सामने अंकित कॉलम (कॉलम संख्या-4 के अनुसार) में उल्लिखितानुसार संशोधन एतद्वारा किया जाता है:-

क्र सं.	नाम अधिकारी	पदस्थापन स्थान	संशोधन
1	2.	3	4
1	श्रीमती तारां तंवर व्याख्याता राबाउमावि बोथरा, गंगाशहर बीकानेर	राउमावि मालमसिंह की सिड, बाप, जोधपुर	कार्मिक के पदोन्नति आदेश दिनांक 25.10.2019 में क्र.सं 122 पर अंकित कार्मिक की कार्यग्रहण अभिवृद्धि 15.11.19 तक बढ़ाई जाती है।
2	श्रीमती सुरुची बारेट व्याख्याता राबाउमावि दूजोद, सीकर	राउमावि सुई, लूनकरनसर, बीकानेर	कार्मिक के पदोन्नति आदेश दिनांक 25.10.2019 में क्र.सं 43 पर अंकित कार्मिक की कार्यग्रहण अभिवृद्धि 18.11.19 तक बढ़ाई जाती है।
3	श्रीमती मीनाक्षी मिश्रा व्याख्याता मास्टर आदित्येन्द्र राउमावि भरतपुर	राउमावि गोगेरा, बैर भरतपुर	कार्मिक के पदोन्नति आदेश दिनांक 25.10.2019 में क्र.सं 43 पर अंकित कार्मिक की कार्यग्रहण अभिवृद्धि 18.11.19 तक बढ़ाई जाती है।
4	श्री महिपाल सिंह व्याख्याता राउमावि कोटडी लुहारवास, सीकर	राउमावि गुढादेवजी नैनवा, बूंदी	कार्मिक के पदोन्नति आदेश दिनांक 25.10.2019 में क्र.सं 223 पर अंकित कार्मिक की कार्यग्रहण अभिवृद्धि 18.11.19 तक बढ़ाई जाती है।
5	श्रीमती निशा चौरसिया व्याख्याता राउमावि नयापुरा कोटा	राउमावि मण्डिता, सांगोद, कोटा	कार्मिक के पदोन्नति आदेश दिनांक 25.10.19 के क्र.सं 43 पर अंकित कार्मिक का पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान राउमावि नयापुरा कोटा के स्थान पर राउमावि मण्डिता, सांगोद कोटा पढा जावे।
6	श्री कुलदीप सिंह व्याख्याता शहीद राजेश कुमार फगेडिया राउमावि घांघु, चूरु	राउमावि बारुं बाप, जोधपुर	कार्मिक के पदोन्नति आदेश दिनांक 25.10.2019 में क्र.सं 267 पर अंकित कार्मिक की कार्यग्रहण अभिवृद्धि 18.11.19 तक बढ़ाई जाती है।


उक्त कार्यग्रहण अभिवृद्धि अन्तिम मानी जावे तथा निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में संबंधित कार्मिक का पदोन्नति परित्याग माना जावेगा। शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेंगी।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा / माध्य / संस्था / बी-2 / प्रधाना0 / संशोधन / 2019-20 दिनांक 07.11.19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) संभाग मुख्यालय।
2. सिस्टम एनालिस्ट-संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय साईट पर प्रकाशनार्थ
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय-(माध्यमिक/प्रारम्भिक)
4. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
5. संबंधित कार्मिक / संस्था प्रधान / नियंत्रण अधिकारी
6. रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक-कार्मिक